

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के दिनांक 29.01.2026 को सरायरंजन एवं जितवारपुर में आयोजित "समृद्धि यात्रा" कार्यक्रम के अवसर पर रुट डायवर्न एवं यातायात नियंत्रण के संबंध में।

TRAFFIC ADVISORY

- दिनांक 29.01.2026 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का सरायरंजन एवं जितवारपुर में समृद्धि यात्रा कार्यक्रम आयोजित होना है। उक्त कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था, विधि-व्यवस्था संधारण एवं आम जनजीवन के सुचारु आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्तीपुर जिले में निम्नलिखित रुट डायवर्जन पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात नियंत्रण व्यवस्था लागू की जाती है:—

समस्तीपुर जितवारपुर

1. मगरदही घाट से बांध से हाउसिंग बोर्ड के तरफ जाने वाली सड़क सुबह 08.00 बजे से कार्यक्रम के समाप्ति तक सभी प्रकार के वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगे। वैकल्पिक मार्ग हेतु बाजार वाली सड़क का उपयोग कर सकेंगे।
2. विशुनपुर चौक से हाउसिंग बोर्ड के तरफ जाने वाली सभी भाड़ी वाहने प्रातः 8.00 बजे से कार्यक्रम के समाप्ति तक सभी प्रकार के वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगे। वैकल्पिक मार्ग हेतु दलसिंहसराय वाली सड़क का उपयोग कर सकेंगे।
3. चौदनी चौक से हाउसिंग बोर्ड के तरफ जाने वाली सड़क पर सुबह 08.00 बजे से कार्यक्रम के समाप्ति तक सभी प्रकार के वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगे। वैकल्पिक मार्ग हेतु मालगोदाम होते हुये बाजार जाने वाली सड़क का उपयोग कर सकेंगे।
4. विशुनपुर चौक से हकिमाबाद पुल जाने वाली सड़क कार्यक्रम के समय आम जनता एवं वाहनों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
5. सिंधिया घाट (रोसड़ा से पटना वैशाली मुजफ्फरपुर जाने वाले सभी बड़े वाहन दलसिंहसराय की तरफ से जा सकेगी)
6. मुसरीघरारी चौक (दरभंगा जाने वाली सभी बड़ी वाहन/व्यवसायीक वाहन ताजपुर के तरफ से जा सकेगी)
7. कल्याणपुर चौक (दरभंगा से पूसा मुजफ्फरपुर एवं बेगुसराय जाने वाली सभी बड़ी वाहन/व्यवसायीक वाहन ताजपुर की तरफ से जा सकेगी)
8. पटेल गोलम्बर से रोसड़ा की तरफ जाने वाली गाड़ीयों रेलवे कॉलोनी होते हुये विशनपुर होते हुये रोसड़ा कि ओर जायेगी।

समस्तीपुर सरायरंजन

1. एस0 मोड से सरायरंजन बाजार जाने वाली सड़क में भाड़ी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
2. वरुणा पुल से सरायरंजन के तरफ आनी वाली सड़क प्रातः 08.00 बजे से कार्यक्रम के समाप्ति तक बड़े वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करेंगे।
3. सरायरंजन सुभाष चौक से सरायरंजन बाजार आने एवं जाने हेतु मेडिकल कॉलेज-पतैली चौक होते हुये छोटी वाहन आ जा सकेगी।
4. सरायरंजन पतैली चौक से मेडिकल कॉलेज होते हुये छोटी वाहन हलई एवं दलसिंहसराय कि ओर जा सकेगी।
5. पतैली चौक से कार्यक्रम स्थल सुभाष चौक आम जनो के सभी वहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।